

NOTIFICATION

Jaipur, dated 9.11.2010

In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 8-B of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2010.

2. Definitions.—In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957);
- (b) “Assembly” means the Rajasthan Legislative Assembly; and
- (c) “Secretary” means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules.

3. Free Rail/ Air/ Ship or Steamer travel facility to be provided.—Every member shall be entitled for reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him for travelling through out the territory of India by Rail, Air, Ship or Steamer, subject to a maximum limit of Rupees #One Lakh Fifty Thousand in a financial year.

(2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-rule (1) is less than Rupees #one lakh fifty thousand the amount by which the amount of reimbursement is less than #one lakh fifty thousand shall be carried forward in next financial year or years but member is not entitled to spent the amount of next financial year in advance. The member shall be entitled to utilize the amount carried forward at any time before expiry of his term as member.

अधिसूचना

जयपुर, 9, नवम्बर 2010

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 8-ख के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम 2010 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) “सभा” से राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है; और

(ग) “सचिव” से राजस्थान विधान सभा सचिव अभिप्रेत है और इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है।

3. रेल/हवाई/जहाज या स्टीमर से उपबंधित की जाने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा:—

(1) प्रत्येक सदस्य स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों सहित भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर से की गयी किसी यात्रा के वास्तविक किराये के, किसी वित्तीय वर्ष में #एक लाख पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, पुनर्भरण का हकदार होगा।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम #एक लाख पचास हजार रुपये से कम है वहां 1 लाख पचास हजार रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गयी रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रणीत की जायेगी। किन्तु सदस्य अगले वित्तीय वर्ष की रकम अग्रिम रूप में खर्च करने का हकदार नहीं होगा। सदस्य, सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय अग्रणीत की गयी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।

(54)

(3) Where the Constitution of Assembly, Dissolve of Assembly and member elected in by-election during the financial year the amount of reimbursement will proportionate according to the number of completed months (s). A Part of month will be counted as a full month.

(4) The members shall submit a travel bill along with Original Ticket of the journey to the Secretary.

4. Repeal.– The Rajasthan Legislative Assmebly Members (Free Railway Travelling Facilities) Rules, 1970 is hereby repealed.

By Order of the Governor,

S.D. Tak

Principal Secretary to the Government

[#] Sub. by F7(1) Sansad/2012 dated 14 June, 2012 w.e.f. 1-4-2012

(54)

(3) विधान सभा के गठन, विधान सभा के विघटन और वित्तीय वर्ष के दौरान उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य की दशा में पुनर्भरण की रकम पूर्ण हुए मास (मासों) की संख्या के अनुसार अनुपातिक होगी। मास के किसी भाग को पूर्ण मास के रूप में गिना जायेगा।

(4) सदस्य, यात्रा के मुख्य मूल टिकिट के साथ यात्रा बिल सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

4. निरसन.— राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त रेल यात्रा सुविधा) नियम, 1970 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[संख्या एफ7(1) संसद/10]

राज्यपाल के आदेश से,

एस.डी. टांक

प्रमुख शासन सचिव

अधिसूचना सं. प.7 (1) संसद/10 दिनांक 14 जून, 2012 दिनांक 1-4-2012 से प्रभावी